

पुलिस विभाग जिला झालावाड

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

● **अवैध शराब सहित अभियुक्त गिरफ्तार :-**

1. थानाधिकारी थाना उन्हेल द्वारा दिनांक 11.02.2018 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त – दयाराम पुत्र मोहनलाल ढोली 35 साल निवासी बेड़ला थाना उन्हेल को अवैध रूप से कच्ची शराब 5 लीटर ले जाते हुए को जप्त कर प्रकरण संख्या 10/18 धारा 19/54 एक्सआईज एक्ट दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

● **जुआ खेलतें 07 अभियुक्त गिरफ्तार 7,750/-रु0 बरामद :-**

1. थानाधिकारी थाना भवानीमण्डी द्वारा दिनांक 11.02.2018 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त –1. पहलवान सिंह पुत्र हरिसिंह राजपुत 27 साल निवासी देवरिया थाना मिश्रौली 2.मुरलीधर पुत्र मोहनलाल मीणा 25 साल निवासी भवानीमण्डी 3.मुकेश पुत्र बालचंद 25 साल निवासी इन्द्रा कॉलोनी पचपहाड 4. दुर्गाशंकर पुत्र सूरजमल मीणा 25 साल निवासी भवानीमण्डी को सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए को मय जुआ राशि 2520/- रुपये मय ताश के जप्त कर प्रकरण संख्या 42/18 धारा 13 आर.पी.जी.ओ दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।
2. थानाधिकारी थाना मण्डावर द्वारा दिनांक 11.02.2018 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त – 1. शोकत अली पुत्र नूरखां मुसलमान 48 साल 2.नन्दलाल पुत्र पन्नालाल जाति कहार 53 साल 3. गोरीशंकर पुत्र माणक लाल जाति कहार 35 साल निवासी मण्डावर थाना मण्डावर को सार्वजनिक स्थान पर ताश के पत्तो पर जुआ खेलते हुये 5230/- रुपये मय 52 ताश के जप्त कर प्रकरण संख्या 14/18 धारा 13 आर.पी.जी.ओ दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

● **तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाते हुए वाहन चालक गिरफ्तार :-**

1. थानाधिकारी थाना रटलाई द्वारा दिनांक 11.02.2018 को दौरानें गस्त व चेंकिंग अवैध कार्य के दौरान अभियुक्त– मनोहरलाल पुत्र देवलाल लोधा उम्र 20 साल निवासी अमरपुरा कलां थाना रटलाई को सार्वजनिक स्थान पर ट्रेक्टर मे लगे टेप से तेज आवाज मे गाने बजाते हुए को गिरफ्तार कर स्पीकर एक टेप मशीन पेन ड्राईव जप्त कर मुलजिम के विरुद्ध प्रकरण संख्या 17/18 धारा 4/6 राजस्थान ध्वनि नियंत्रण अधिनियम 1963 दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

● **स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट में 03 अभियुक्त गिरफ्तार :-**

1. थाना घांटोली द्वारा दिनांक 11.02.2018 को केस न0 242/11 धारा 379 भादस में अभियुक्त– जवाहर सिंह पुत्र रामलाल जाति भील उम्र 30 साल नि. मालिया थाना घांटोली को न्यायालय द्वारा जारी **स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट** में गिरफ्तार किया।
2. थाना कोतवाली झालावाड द्वारा दिनांक 11.02.2018 को (1)–केस न0 633/90 धारा 279,337 भादस में अभियुक्त– गणपत सिंह पुत्र गंगा सिंह जाति राजपुत निवासी हरिभजन गढ थाना रघुनाथ गढ सीकर राज. (2)–केस न0 783/03 धारा 147,149,452,342 भादस में अभियुक्त– रामप्रसाद पुत्र लालचंद जाति मेहर उम्र 45 साल निवासी बोरदा थाना खानपुर को न्यायालय द्वारा जारी **स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट** में गिरफ्तार किया।